न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)
बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 92 / 2025 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस नम्बर–2025 / 122

उनवान

1. श्री रामलाल पिता गोताजी मीणा, आयु 46 वर्ष, निवासी बोरज माजावत, मालपुर, तहसील झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज०)।

– **प्रार्थी**

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार साहब, तह० झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज०)
2. श्री भैरा पिता लिम्बा मीणा, आयु बालिग, निवासी जोधसागर कि भागल, तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर (राज०)।
3. श्री नाथु पिता भैरा मीणा, आयु बालिग, निवासी जोधसागर कि भागल, तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर (राज०)।

– **विपक्षीगण**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>

–::निर्णय::–

दिनांक : 18/05/2026

उपस्थितिः श्री दिनेश कुमार जैन अधिवक्ता – प्रार्थी
श्री वालुराम पटेल अधिवक्ता – विपक्षी सं. 2, 3
पेरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा उपस्थिति।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी कि भूमि मौजा नयागॉव पटवार हल्का देवगॉव भू–अभिलेख निरक्षक क्षेत्र झल्लारा तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर के जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 162 आराजी संख्या 777 / 161 रकबा 0.21 हैक्टेयर लगानी 0.13 रूपये स्थित है। जिसका प्रार्थी एक मात्र खातेदार काश्कार होकर काबिज चला आ रहा है।

प्रार्थी ने भूमि पुर्व स्वामी खेमा पिता कानजी मीणा से क्रय कि उसी दिन सें अपने द्वारा क्रय कि गई भूमि पर काबिज चला आ रहा है, व भुमि पर बाउण्ड्री वॉल बनी हुई है। पुर्व स्वामी खेमा पिता कानजी मीणा ने उनके सह खातेदारों विपक्षी संख्या 2 व 3 ने मिलकर सहमती से आपसी बटवाडा तहसीलदार सलुम्बर सें दिनांक 03–11–2019 को करवाया था मौके पर अपसी सहमती से जो–जो हिस्सा बटवाडा कर रखा था उसी पर आज तक काबिज चले आ रहे है। भुल से नक्शा ट्रेस में गलत जगह प्रार्थी के नम्बर को दर्ज कर लिया गया है, जो उत्तर दिशा कि तरफ नक्शे में बैठा दिया गया है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक मौके पर कब्जा दक्षिण दिशा कि तरफ है, जिसे सही किया जाना आवश्यक है। दोनो पडौसी ने पूर्व में आपसी सहमती से बटवाडा किया था, वे इस बात से सहमत है, तथा मौकेनुसार दुरस्ती पर सहमत है। प्रार्थी का मौके पर 100X232 भूमि पर बटवाडे अनुसार मौके पर कब्जा है जो बाउण्ड्री बनी हुई है।प्रार्थी का मौकेनुसार नक्शा ट्रेस में उत्तर कि तरफ कम करके व दक्षिण कि तरफ खिसकाना आवश्यक है, जिसका नजरी नक्शा नाप

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर जिला सलूम्बर
बजरिये – श्री जगदीश चन्द्र बागोरिया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–92/2025

उनवान–श्री रामलाल बनाम राज्य सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.रा. एक्ट

के साथ संलग्न है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि नक्शा ट्रेस में इन्द्रा दुरस्ती करवाने कि कृपा करावे।

पत्रावली दर्ज रिजस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2, 3 की ओर से अधिवक्ता श्री वालुराम पटेल ने वकालतनामा पेश किया। विपक्षी संख्या 2, 3 ने जवाब में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

तहसीलदार झल्लारा ने पत्रांक 203 दिनांक 21–04–2026 द्वारा रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि भूमि मौजा नयागांव, पटवार हल्का देवगांव के राजस्व अभिलेखों एवं जमाबंदी के अनुसार अलग–अलग खसरा नंबरों में विभाजित होकर विभिन्न खातेदारों के नाम दर्ज है। नामांतरण एवं बंटवारे की प्रक्रिया के बाद भूमि का रकबा तथा हिस्सेदारी रिकॉर्ड में अद्यतन की गई है, जिसमें रामलाल मीणा को खसरा संख्या 777/161 की भूमि का क्रय के आधार पर खातेदार दर्ज किया गया है। पटवारी रिपोर्ट एवं मौके की जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि नक्शा ट्रेस में भूमि की स्थिति एवं सीमांकन में त्रुटि रह गई है, जिसके कारण खसरा नंबरों की दिशा एवं स्थान वास्तविक मौके की स्थिति से मेल नहीं खा रहे हैं। मौके पर पक्षकारों के कब्जे बंटवारे एवं आपसी सहमति के अनुसार पाए गए हैं, जबकि राजस्व नक्शे में उत्तर–दक्षिण दिशा में गलत तरमीम दर्ज हो गई है। तथा बिन्दु संख्या 4 मे अंकित किया है कि प्राप्त भू०अ०नि० एवं पटवारी रिपोर्ट एवं मौका पर्चा अनुसार सह खातेदार की आपसी सहमती एवं मौके पर काबिज अनुसार नक्शे में सहवन से गलत तरमीम हुई है और नक्शे में उक्त आराजी के उत्तर दिशा में 775/161 मध्य में 776/161 और दक्षिण–पूर्व दिशा में 774/616 और उत्तर–पूर्व दिशा में 776/161 अनुसार मौके पर काबिज अनुसार एवं पाती–बटवाडा अनुसार नक्शा तरमीम इन्द्राज दुरस्ती हेतु उत्तर दिशा में 71.31 मीटर तक 775/161 आराजी नम्बर उक्त आराजी नम्बर से 30 मीटर तक 777/161 शेष 18 मीटर 774/161 हैक्ट उक्त नपती अनुसार नक्शा मे तरमीम किया जाना उचित है व उक्त नपती अनुसार मौके पर काबिज है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नंबर 777/161 की भूमि का वास्तविक कब्जा मौके पर दक्षिण दिशा में स्थित है, जबकि राजस्व नक्शे में उसे उत्तर दिशा में अंकित कर दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि नक्शा ट्रेस में इन्द्रा दुरस्ती करवाने कि कृपा करावे।

विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए इन्द्रा दुरस्ती किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।तहसीलदार झल्लारा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं पटवारी मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित आराजी नंबरों का विभाजन एवं नामांतरण पूर्व में हुआ है।नक्शा ट्रेस में सीमाओं एवं स्थिति का अंकन मौके की स्थिति से भिन्न एवं त्रुटिपूर्ण है। वास्तविक कब्जा मौके पर बंटवारे एवं सहमति के अनुसार है। नक्शा दुरुस्ती (तरमीम) आवश्यक एवं उचित प्रतीत होती है।

संपूर्ण अभिलेख, मौका रिपोर्ट एवं पक्षकारों की सहमति के आधार पर यह सिद्ध होता है कि राजस्व नक्शा में तकनीकी त्रुटि है, जिसे सुधारना न्यायोचित है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर जिला –सलूम्बर
बजरिये – श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर ए एस

उनवान–श्री रामलाल बनाम राज्य सरकार

प्रकरण संख्या–92 / 2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ले.रे.एक्ट

–::आदेश::–

अतः प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। संबंधित राजस्व नक्शा (ट्रेस) में आराजी नंबर 777 / 161 की स्थिति को मौके के अनुसार तहसीलदार झल्लारा की रिपोर्ट मे प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुरूप इन्द्राज दुरुस्ती किया जाए। नक्शे में अंकित सीमाओं को मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार उत्तर–दक्षिण दिशा में समायोजित किया जाए।

तहसीलदार झल्लारा ने पत्रांक 203 दिनांक 21–04–2026 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे प्रस्तावित नक्शा उक्त आदेश का जूज हिस्सा है।

निर्णय दिनांक 18/05/26 को सरेइजलास सूनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला– सलूम्बर

सहायक कलेक्टर, सलूम्बर
जिला सलूम्बर